दिनांकः–06.12.2017 को अधिप्राप्ति कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

मुख्य महाप्रबंधक,(अधिप्राप्ति) की अध्यक्षता में कार्यलय प्रकोष्ठ में अधिप्राप्ति कार्यो की समीक्षा की गई जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए–

(1) श्री अचल कुमार सिंह–उप महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)
(2) श्री अनिल कुमार, – उप महाप्रबंधक (वित्त)एवं जनवितरण
(3) श्री एस0बी0भट्टाचार्य– उप महाप्रबंधक जनवितरण (भंडारण)
(4) श्री शिवपूजन राम – प्रबंधक, भंडारण
(5) श्री प्रशान्त यादव – परियोजना प्रबंधक,4^{G} आईडेन्टीटी सोल्यूशन

बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं सम्यक जाँचोपरान्त निर्णय लिया गया।

(1) **भंडारणः–** जिलान्तर्गत CMR भंडारण हेतु चयनित CMR संग्रहण केन्द्रों में निगम में तत्काल उपलब्ध सहायक प्रबंधकों में से CMR गोदाम प्रभारी के पद पर निगम मुख्यालय के पत्रांक–12220 दिनांक–02.12.2017 से प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। तत्काल 241 CMR संग्रहण केन्द्रों को अधिसूचित किया गया है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 5.66 लाख मे0टन है।

प्राप्त सूचनानुसार अभी भी अरवल, औरंगाबाद, कैमूर, नालन्दा, नवादा एवं शेखपुरा में अधिप्राप्ति वर्ष 2016–17 अन्तर्गत प्राप्त CMR की काफी मात्रा निष्पादनार्थ भंडारित है,जिसका निगम हित में त्वरित निष्पादन अपेक्षित है। प्रावधानानुसार ''प्रथम आगत–प्रथम निर्गत'' सिद्धान्त अर्थात् FIFO Norms-पर आधारित होकर CMR का नियमानुकुल उठाव करने हेतु यद्दपि पूर्व में भी अनुरोध किया गया है। पूर्व से भंडारित CMR का उठाव नहीं कराये जाने के कारण संबंधित CMR गोदाम का उपयोग करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। बैठक में उपस्थित उप महाप्रबंधक, (जन वितरण) को जिला में अवशेष बचे CMR का तीव्रगति से उठाव सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध किया गया साथ ही भविष्य में FIFO Norms को दृष्टिपथ रख CMR का प्राथमिकता के आधार पर उठाव कराने हेतु यथोचित सुझाव दिया गया ताकि CMR के गुणवत्ता का ह्रास न हो और इसके निर्गमन पर कोई प्रश्नचिन्ह न लगे।

गोदामों की आवश्यकता को यद्दपि संज्ञान में लेते हुए उपयुक्त गोदामों की हरसंभव व्यवस्था की गई है तथापि अभी भी नवादा, नालन्दा, औरंगाबाद, कैमूर एवं सहरसा जिला हेतु निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य के आलोक में गोदाम की कमी महसूस की जा रही है। संबंधित जिला प्रबंधक अपने आवश्यकतानुरूप उपयोगी गोदाम को चिन्हित कर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेगें। यदि अगल–बगल जिला में अपेक्षानुरूप गोदाम उपलब्ध हो तो जिला टास्क फोर्स से स्वीकृति प्राप्त कर निगम मुख्यालय प्रस्ताव भेजगें ताकि इसे अधिसूचित करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

(2) **नमी मानक यंत्र/माप तौल/वेईंग मशीनः–**

प्रबंधक,भंडारण द्वारा जिलों में उपलब्ध नमी मापक यंत्र/माप तौल (वेंईंग मशीन) से संबंधित उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा के कम में पाया गया है कि अभी तक मात्र 10 जिलों यथा बक्सर, कैमूर,गया,नवादा,मुजफ्फरपुर,वैशाली,मोतिहारी,सुपौल,अररिया एवं बेगूसराय जिला में ही नमी मापक यंत्र का आंशिक तौर पर Caliberation/मरमति कराई गई है। वेईंग मशीन की मरमति संबंधित प्रतिवेदन अभी तक निगम मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। विदित हो कि नमी मापक यंत्र /वेईंग मशीन के Caliberation/मरमति हेतु जिलों की यथावांछित राशि निगम मुख्यालय के पत्रांक–11027दिनांक–30.10.17एवं11028 दिनांक–30.10.17 से कमशः नमीमापक यंत्र एवं वेईंग मशीन के Caliberation/मरमति कराने हेतु उपलब्ध करा दी गई है। प्रबंधक,भंडारण, मुख्यालय को निदेशित किया गया कि नमी मापक यंत्र /वेईंग मशीन की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसका त्वरित गति से Caliberation

other letter

/मरमति कराने हेतु अपने स्तर से जिला प्रबंधक से निरंतर सम्पर्क स्थापित कर अग्रतर अविलम्ब कार्रवाई की जाय ताकि अधिप्राप्ति कार्य में कोई अनावश्यक अवरोध न उत्पन्न हो।

(3) मिल का ऑनलाईन पंजीकरण :-

निगम मुख्यालय के पत्रांक-10316 दिनांक-07.10.2011 से मिलों का ऑनालाईन पंजीकरण हेतु विस्तृत रूप से यथापेक्षित दिशा निदेश दिया गया है। 4G आईडेन्टीटी सॉल्यूशन से प्राप्त (दिनांक 06.12.2017 तक) मात्र 35 जिलों में प्रतिवेदनानुसार अभी तक 515 मिलों का ऑनलाईन पंजीकरण किया गया है जबकि विगत वर्ष 2016-17 में कुल 1906 मिलों का पंजीकरण किया गया था। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि समस्तीपुर, सहरसा एवं सीतामढ़ी जिला में मिलों का बिल्कुल ही पंजीकरण नहीं हुआ है। शेष जिलों में मिलों का पंजीकरण की प्रक्रिया काफी मन्द गति से हो रही है। यद्यपि सभी जिला प्रबंधको का निगम मुख्यालय के पत्रांक-10337 दिनांक-09.10.17 एवं 11680 दिनांक-18.11.17 से मिलो के पंजीकरण में तीव्रता लाने हेतु स्मारित किया गया है तथापि पुनः इस दिशा में सार्थक पहल करते हेतु जिला प्रबंधकों से अनुरोध किया जाना अपेक्षित है।

(4) बोरा :-

श्री जफर आलम,उप महाप्रबंधक(अंकेक्षण)सम्पति नोडल पदाधिकारी (गन्नी बेल्स)के अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर रहने के कारण बोरा की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(5) कार्मिक प्रबंधनः-

वर्तमान में अधिसूचित किए गए सभी 241 CMR संग्रहण केन्द्रों (भंडारण क्षमता 5.66 लाख मे0टन) के संचालन हेतु निगम मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक-12220 दिनांक-02.12.17 से निगम में तत्काल उपलब्ध सहायक प्रबंधको में से 83 सहायक प्रबंधकों को CMR गोदाम प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। 10,000 एवं उसके ऊपर भंडारण क्षमता धारक CMR संग्रहण केन्द्रों में दो डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक एवं 10,000 से कम भंडारण क्षमताधारक CMR संग्रहण केन्द्रों में कम से कम एक डाटा ईन्ट्री ऑपरेटर को प्रतिनियुक्त करने हेतु निदेश दिया गया। CMR संग्रहण केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त डाटाईट्री ऑपरेटर द्वारा डाटा प्रविष्टी करने के साथ-साथ लिपिकीय सहयोग (Clerical Assistance) भी CMR गोदाम प्रभारी के निदेश के आलोक में दिया जाना सुनिश्चित किया जायगा।

(6) स्टेशनरी सामग्री की आवश्यकता :-

जिला में संचालित CMR संग्रहण/केन्द्रों जिला कार्यालयों में संधारित की जाने वाली पंजियों/अन्य स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व निगम मुख्यालय की है।अतः सम्यक विचारोपरान्त अभी तत्काल निम्नांकित स्टेशनरी सामग्री के सामने अंकित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैठक में उपस्थित प्रबंधक, क्रय एवं सेवा को निदेशित किया गया।

क्र0	स्टेशनरी सामग्री	मात्रा
1	भंडार पंजी	300 भौलूम (25 पृष्ट का)
2	निर्गत पंजी	300 भौलूम (25 पृष्ट का)
3	आगत पंजी	300 भौलूम (25 पृष्ट का)
4	Acceptance-Cum-Analysis	500 भौलूम (4 प्रति में संख्यानुसार)
5	Purchase-Cum-Payment Voucher	300 भौलूम (3 प्रति में संख्यानुसार)
6	भारचेक मेमो(वजन तालिका)	500 भौलूम (3 प्रति में संख्यानुसार)
7	एम0 फार्म	300 भौलूम (2 प्रति में संख्यानुसार)
8	गेट पास	500 भौलूम (2 प्रति में संख्यानुसार)

जिला प्रबंधक से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उप महाप्रबंधक, क्रय द्वारा एतद्संबंधी आपूर्ति करने की व्यवस्था की जायगी।

other letter

(7) PFMS प्रकिया का प्रशिक्षणः-

इस वर्ष अधिप्राप्ति सम्बन्धी सभी प्रकार का भुगतान PFMS प्रणाली के तहत किया जाना है। PFMS प्रणाली अन्तर्गत जिला प्रबंधक का निबंधन हो चुका है, परन्तु पैक्स का निबंधन अभी तक नहीं हो सका है। परियोजना प्रबंधक 4G आईडेन्टीटी सॉल्यूशन द्वारा इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा। महाप्रबंधक,वित्त एवं आतंरिक वित्तीय सलाहकार कृपया इस दिशा में आवश्यक निदेश देगें।

चूँकि यह मामला राशि भुगतान से संबंधित है, अतएव पैक्सों/व्यापारमंडल का निबंधन की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात् अपना Log.in /ID/ Password change कर लेगें एवं सभी जिला प्रबंधक भविष्य के लिए इसे गोपनीय रखेगें। भुगतान/राशि का हस्तान्तरण स्वयं ही करेगें।

(8) सी0एम0आर0 गोदाम के संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षणः-

बिहार राज्यन्तर्गत निगम द्वारा जिलाधीन CMR संग्रहण केन्द्रों के संचालन हेतु तत्काल निगम में उपलब्ध सहायक प्रबंधकों में से सी0एम0आर0 गोदाम प्रभारी के पद पर निगम मुख्यालय के पत्रांक-12220 दिनांक-02.12.2017 से प्रतिनियुक्ति की गई है। CMR संग्रहण केन्द्रों के सुगमतापूर्वक संचालन एवं निर्धारित मानक के अनुरूप गुणवत्ता युक्त CMR प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नव पदस्थापित CMR गोदाम प्रभारी का प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण हेतु दिनांक-11.12.17 को 11.00 बजे पूर्वाहन् में निगम मुख्यालय के सभागार में कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में भारतीय खाद्य निगम के गुण नियंत्रक एवं भंडारण से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु प्रतिनियुक्ति करने के लिए अनुरोध की जाय।

अन्त में अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्त की गई।

8/12/17

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

ज्ञापांक-02:15:17(अधि0)/2017-12437 दिनांकः- 08/12/17

प्रतिलिपिः-सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/प्रबंधक,क्रय एवं सेवा/प्रबंधक,भण्डारण/गोपनीय शाखा मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/12/17

महाप्रबंधक(अधिप्राप्ति)।

other letter